International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 09-12-2018; Accepted: 12-01-2019
www.socialsciencejournal.in
Volume 5; Issue 1; January 2019; Page No. 68-70

भारतीय संविधान और महिलाओं के अधिकार : विवेचनात्मक अध्धयन

Dr. Hemant Kumar
Ph.D., Department of Political Science, Maa Omwati Degree College, Hassanpur, Haryna, India

सारांश

यत्र नारीयस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता
भारतीय मान्यता के अनुसार जहाँ स्त्रीयों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते है (मनुस्मृति)

सृष्टि - सृजन और मानवीय सभ्यता के विकास में स्त्री व पुरुष दोनों की समान सृजनात्मक भूमिका रही है | ये दोनों एक दूसरे के पूरक एवं सहयोगी है | नारी अपने विविध रूपों में पुरुष का संवर्धन, प्रोत्साहन और शक्ति प्रदान करती है | माता के रूप में नारी पुरुष के चरित्र की संरोपण भूमि है| पत्नी के रूप में नारी पुरुष उत्कर्ष का प्रसार स्तम्भ है | भिन्न-भिन्न देश, काल एवम परिस्थियों में महिलाओं की स्थिति, योगदान एवम स्वरूप को लेकर मतांतर रहे है |

साहित्य एवं ज्ञान लोक ने नारी को गृह कार्य एवं काम प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है, तो काव्यकारों ने सोंदर्य-बोधक स्वरूप में | नारी निर्माण की ईसप्रक्रिया से समाज में महिलाओं की स्थिति असमानता,शोषण व उत्पीडन के अनुभवों से जुडती चली गयी | उसे समाज में द्वितीय दर्जा दे दिया गया | वर्तमान समाज अर्थवाद का दास बनता जा रहा है | जहाँ सम्पत्ति की अनियमिता से अधिक महत्व दिया जाता है | पूंजीवाद से सत्तावाद तथा सत्तावाद, सम्पत्ति, विलासितावाद, भोगवाद की ओर बढ़ रहा है | आदर्शात्मक मूल्यों का इस वर्तमान समाज में कोई महत्व नहीं है | महिलाओं के अधिकारों के विभिन्न तरीके है जिसमे महिलाओं के साथ ही अबोध बालिकाएं भी सदियों से पुरुषों द्वारा अधिकारों के हनन की शिकार रहीं है तथा वर्तमान में भी इस स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है जबकी अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व स्थानीय स्तरों पर महिलाओं की स्थिति को सुधार के लिए विशेष प्रावधान किए गए है | विश्व जनगणना 2011 के अनुसार विश्व की कुल जनसँख्या की लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है | अर्थात प्रारम्भ से ही विश्व में महिलाऐं समाज का एक अभिन्न अंग हैं परन्तु फिर भी महिलाओं की स्थिति भारत में ही नहीं अपितु विश्व के सभी देशों में प्रारम्भिक काल से ही दयनीय रही है |महिला विकास यात्रा संक्रमण से गुजर रही है जिसमें सकारात्मक व नकारात्मक तत्वों का समन्वय है |इस शोध – पत्र के अध्धयन का उद्देश्य महिलाओं में सशक्तिकरण एवं जागरूकता लाना है साथ ही समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान पैदा करना है | स्वतन्त्रता के पश्चात भारतीय नारी की स्थिति में काफी सुधारात्मक परिवर्तन हुए है | आजादी के 71वर्षों के पश्चात हम यदि क़ानूनी द्रष्टिकोण से नारी के प्रति अपराधों को रोकने के लिए बनाये गए अधिनियमों की विवेचना करते है तो स्पष्ट परिलक्षित होता है की हमारे देश में नारी की गरिमामयी स्थिति को बनाए रखने के लिए काफी सारे कानून बनाये गए है | किन्तु पर्याप्त क़ानूनी शिक्षा के आभाव में कानून की जानकारी उनको नही मिल पाती | यहाँ तक कि अधिकांश महिलाओं को यह ज्ञात नहीं होता कि उन्हे कौन – कौन से अधिकार प्राप्त है | प्रस्तुत शोध – पत्र मे महिलाओं के उत्थान एवं उनके प्रति अपराधों को रोकने हेतु कौन – कौन से अधिकार है इसके बारे मे वर्णन किया गया है |

मूल शब्द : भारतीय संविधान, महिलाओं के अधिकार |

प्रस्तावना

महिलाओं के अधिकारों मे कमी मानव सभ्यता के विकास के साथ होती गयी है तथा समय के साथ - साथ उनके प्रति अत्याचारों मे वृद्धि होती गयी है | मानव अधिकार के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों को बिना किसी विभेद के समान अधिकार प्राप्त होते है परंतु इसी के सामने समाज के कुछ वर्गों जिनमे विशेषत; महिला वर्ग को रखा जा सकता है | जिनकी स्थिति आधुनिक समय मे भी बनी हुई है | महिलाओं के अधिकारों के हनन एक का तरीका महिलाओं के खिलाफ हिंसात्मक कृत्य है | जिनके अन्तर्गत परिवार मे पति द्वारा, समाज मे उच्च वर्ग द्वारा एवं कार्यकारी स्थान पर नियोक्ता द्वारा महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता रहा है | सामाजिक सनरचना व्यवस्था, परम्पराएँ, रूढ़ियाँ एवं रीति रिवाज – ये मानव कृत होते हुए भी मानव विभेदक है | इन्होने समाजीकरण व संस्कारगत व्यवहार व मूल्यों के आधार पर स्त्री-पुरुष के मध्य विभेदीकरण की एक लकीर खींच दी | नारी निर्माण की इस प्रक्रिया से समाज मे महिलाओं की स्थिति असमानता, शोषण, व उत्पीड़न के अनुभवों से जुड़ती चली गयी |

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्राचीन भारत मे महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों मे पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा हासिल था | पतंजलि और कात्यायन जैसे प्राचीन भारतीय व्याकरण विदों का कहना है कि प्रारम्भिक वैदिक काल मे महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी | ऋग्वेदिक ऋचाएँ यह बताती है कि महिलाओं कि शादी एक परिपक्व उम्र मे होती थी और उन्हे पति चुनने कि भी आजादी थी | ऋग्वेद और उपनिषद जैसे ग्रंथ कई महिला साध्वी व संतों के बारे मे बताते है जिनमे गार्गी और मैत्रेयी के नाम उल्लेखनीय है | प्राचीन भारत मे कुछ साम्राज्यों मे नगरवधु जैसी परंपरा मौजूद थी | महिलाओं मे नगर वधु के प्रतिष्ठित सम्मान के लिए प्रतियोगिता होती थी | आम्रपाली नगरवधु का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण रही है | अध्यननों के अनुसार वैदिक काल मे महिलाओं को बराबरी का दर्जा और अधिकार मिलता था | हालांकि बाद मे (लगभग 500 ईसा पूर्व) स्मृतियों (विशेषकर मनुस्मृति) के साथ महिलाओं की स्थिति मे गिरावट आनी शुरू हो ज्ञी और बाबर एवं मुगल साम्राज्य मे इस्लामी आक्रमण के साथ और इसके बाद ईसायत ने महिलाओं की आजादी और अधिकारों को सीमित कर दिया| हालांकि जैन धर्म जैसे सुधारवादी आंदोलन मे महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठानों मे शामिल होने की अनुमति दी गयी है | भारत मे महिलाओं को दासता और बंदिशों का ही सामना करना पड़ा है | आधुनिक समय मे भी स्थिति मे कोई अधिक बदलाव नही हुआ है |

एशियाई देशों भारत, पाकिस्तान, बांग्ला देश, नेपाल, श्रीलंका इत्यादि मे लड़कियों का पैदा होना अभिशाप माना जाता है | इन देशों मे पुत्र प्राप्ति की मानसिकता लम्बे समय से चली आ रही है अर्थात पुत्र को वंश वृद्धि का कारण माना जाता है | आज भी अमेरीका जैसे विकसित देश मे महिलाओं के साथ अत्याचार के उदाहरण देखे जा सकते है | पश्चिमि यूरोप व अमेरिकन देशों मे महिला अधिकार की आधार शिला लिंगिय स्वतन्त्रता का प्रश्न है | 1611 मे संयुक्त राज्य अमेरिका मेसायुसेट्स राज्य मे महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ |अमेरिका ने सर्वप्रथम यह स्वीकार किया कि " मनुष्य स्वतंत्र व समान पैदा हुआ है " परंतु उसी अमेरिका ने महिलाओं को 80 वर्ष के उपरान्त मत देने का राजनीतिक अधिकार दिया | विश्व के सन्मुख

प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र का अनूठा उदाहरण पेश करने वाले स्विट्जरलेंड ने 1971 मे महिलाओं को मताधिकार दिया | ब्रिटेन जैसे देश मे 1948 मे महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ | द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व स्तर महिलाओ की स्थिति मे सुधार लाने की दिशा मे विश्व स्तरीय प्रयास किए गए तथा नारी स्वतन्त्रता, सहभागिता, शक्तिवाद, मुक्ति की बात की गयी | नारी को अधिकार प्रदान कर इस दिशा मे पहल करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1946 मे "संयुक्त राष्ट्र महिला हैसियत आयोग "की स्थापना की| मूलत: मानवाधिकार की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को घोषित उस सार्वभोमिक घोषणा पत्र से संबन्धित घोषणा – पत्र से संबन्धित है जिसमे सम्पूर्ण विश्व के समस्त राष्ट्रों के प्रत्येक नागरिक को सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने का अधिकार दिया गया | महिला अधिकारों की जाग्रति हेतु विश्व सतर पर अनेक प्रयास किए गए | जिनमे ----

1. प्रथम विश्व महिला सम्मेलन मैक्सिको 1975
2. दूसरा विश्व महिला सम्मेलन कोपेनहेगन 1980
3. तीसरा विश्व महिला सम्मेलन नैरोबी 1985
4. चौथा विश्व महिला सम्मेलन बीजिंग (पेइचिंग) 1995

मैक्सिको सम्मेलन मे दो एजेंसी बनाने का निर्णय लिया गया

1. UNIFEN --- 1976 (संयुक्त राष्ट्रीय विकास फंड)
2. UNSRRA --- 1975 (अंतर्राष्ट्रीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान)

भारतीय संविधान एवं महिला अधिकार

भारतीय संविधान भारत की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय धरोहर है | 26 जनवरी 1950 का दिन भारतीय इतिहास मे स्वर्ण अक्षरों मे लिखा गया | इसी दिन देश सदियों की दासता व उतार चढ़ाव के पश्चात नये गणराजय के रूप मे उभर कर सामने आया | भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को बहुत से संवैधानिक एवं विधिक अधिकार प्रदान किये गए है | इस के साथ – साथ ही इन अधिकारों के उचित क्रियान्वन एवं महिलाओं को उत्पीड़न से बीसीएचएएनई हेतु विभिन्न आयोगों की स्थापना बीएचआई की गयी है |

महिलाओं के अधिकारों के लिये भारतीय संविधान मे निम्न संवेधानिक प्रावधान किए गए है ----------

1. **(अनु0 - 14)**: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार " भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी नागरिक को विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नही किया जायेगा | समानता से यहाँ अभिप्राय यह है कि स्त्री व पुरुष मे किसी भी प्रकार का लिंग भेद नही है तथा यह अधिकार समान रूप से दोनों का प्राप्त होगा |
2. **(अनु0 -15)**: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार "राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, व जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेद भाव नहिं करेगा "भारतीय संविधान मे यह स्पष्ट है कि पुरुष एवं महिला को समान अधिकार प्रदान किए गए है | साथ ही इस अनु0 के खण्ड 3 मे स्त्रियों के लिए विशेष व्यवस्था भी कि गयी है |
3. **(अनु0 – 19)**: अनु0 19 महिलाओं को स्वतन्त्रता का अधिकार प्रदान करता है ताकि महिलाएं स्वतन्त्रता पूर्वक भारत राज्य के क्षेत्र मे आवागमन कर सकें | किसी भी कार्य से वंचित करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना गया है |
4. **(अनु0 23 -24)**: अनु0 23 व 24 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध होने वाले शोषण को नारी के मान सम्मान के विपरीत मानते हुऐ उनकी खरीद – फरोख्त, वैशया- वृति, कराना आदि को दंडनीय अपराध कि श्रेणी मे रखा गया है | इसके लिए सन 1956 मे "वीमेन एंड गर्ल्स एक्ट" भी भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया ताकि महिलाओं के विरूद्ध होने वाले सभी प्रकार के शोषण को समाप्त किया जा सके |
5. **(अनु0 – 39)**: अनु0 39 के अनुसार स्त्री को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार तथा अनु0 39 (द) के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है | जिससे उन्हें आर्थिक न्याय कि प्राप्ति हो सके|
6. **(अनु0 – 42)**: अनु0 42 महिलाओं को प्रसूति अवकाश प्रदान करता है |
7. **(अनु0 – 46)**: अनु0 46 राज्य के दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण करेगा |
8. **(अनु0 – 51)**: संविधान के भाग 4 के अनु0 51 (क) तथा (3) मे स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि हमारा दायित्व है कि हम हमारी संस्कृति कि गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझते हुए इस प्रकार कि प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के मान सम्मान के खिलाफ हों |
9. **(अनु0 – 243)**: अनु0 243 (द) के (3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गए स्थानो कि कुल संख्या के 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे तथा चक्रानुक्रम से पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रो मे आवंटित किए जाएंगे |
10. **(अनु0 – 325)**: अनु0 325 के अनुसार निर्वाचक नामावली मे महिला एवं पुरुष दोनों को समान रूप से सम्मलित करने का अधिकार प्रदान किया गया है |

विधिक उपबंध

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों एवं अत्याचारों के निवारण हेतु राज्य द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित किये गए है | 'ताकि महिलाओं को उनके अधिकार प्राप्त हो सके तथा सामाजिक भेद भाव से उनकी सुरक्षा हो सके | भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रावधान के अनुसार महिलाओं पीआर होने वाले अत्याचार एवं निर्दयता के विरुद्ध व्यवस्था की गयी है |

1. **(धारा 292 से 294 के तहत)**: धारा 292 से 294 के तहत विशिष्टता और सदाचार को प्रभावित करने वाले मामलों पीआर रोक लगाई गयी है | इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा स्त्रियो के अशलील चित्र प्रदर्शित किए जाते है अथवा कोई खरीद फरोख्त की जाती है अथवा अश्लील प्रदर्शन करता है तो इस प्रकार के व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा एवं 2 हजार तक जुर्माना अथवा दोनों ही सजाओं का प्रावधान किया गया है |
2. **(धारा 312 से 318 के तहत):** धारा 312 से 318 के तहत यदि कोई व्यक्ति गर्भपात कराता है, अजन्मे शिशुओं को नुकसान पहुंचाता है, शिशुओं को अरक्षित छोड़ता है तथा जन्म छिपाता है तो इस कार्य के लिये दण्ड का प्रावधान किया गया है |
3. **(धारा – 354):** धारा 354 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा – भंग करता है अथवा करने के उद्देश्य से आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे 2 वर्ष की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है |
4. **(धारा – 361):** धारा 361 के अनुसार यदि किसी महिला की आयु 18 वर्ष से कम है और उसे कोई व्यक्ति उसके संरक्षक के संरक्षता के बिना सम्मति के या उसे बहला – फुसला कर ले जाता है तो वह व्यक्ति अपहरण का दोषी होगा | तथा उसके खिलाफ धारा 363 से 366 मे दंड का प्रावधान किया गया है |
5. **(धारा – 372):** धारा 372 के तहत यदि किसी 18 वर्ष से कम आयु की महिला को वैशयावृति के प्रयोजनार्थ बेचे जाने पर दोषी व्यक्ति को 10 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है |
6. **(धारा 375 – 376):** धारा 375 मे बलात्कार को परिभाषित किया गया है | तथा धारा 376 मे बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान है |
7. **(धारा 498):** धारा 498 (अ) के अनुसार यदि कोई पति या उसका कोई रिश्तेदार उसकी पत्नि के साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार करता है अथवा दहेज के लिए प्रताड़ित करता है तो उसके लिए 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है |
8. **(धारा – 509)**: धारा 509 के अनुसार यदि कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि या कोई अंग विक्षेप करता है या कोई इस प्रकार का कार्य करता है जिससे किसी स्त्री की एकांतता पर अतिक्रमण होता है तो इस प्रकार के व्यक्ति को एक वर्ष की सजा या जुर्माना या दोना से दंडित किया जा सकता है |

हमारे देश मे सदियों से चली आ रहि कुरीतियों एवं कुप्रथाओ से देश को मुक्त कराने हेतु बहुत से अधिनियम पारित किए गए है | इसके साथ ही महिलाओं को सुरक्षा एवं अधिकार प्रदान करने हेतु भी अधिनियम पारित किए गए है |भारतीय संविधान मे महिलाओं के लिए पारित किए गए विभिन्न अधिनियम निम्न है -------

1. राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948
2. दि प्लांटेनस लेबर अधिनियम 1951
3. परिवार न्यायालय अधिनयम 1954
4. विशेष विवाह अधिनियम 1954
5. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955
6. हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 (संशोधन 2005)
7. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956
8. प्रसूति प्रसूविधा अधिनियम 1961 (संशोधित 1995)
9. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961
10. गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971
11. ठेका श्रमिक (रेगुलेशन एंड एबोलिशन) अधिनियम 1976
12. दि इक्वल रेयूनरेशन अधिनियम 1976
13. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006
14. आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम 1983
15. कारख़ाना (संशोधन)अधिनियम 1986
16. इंडिकेट रिप्रेसेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986
17. कमीशन ऑफ सती (पृवेन्शन) एक्ट 1987
18. घरेलु हिंसा से संरक्षण अधिनियम

इनके साथ – साथ ही महिलाओं की दशा सुधारने हेतु भारत सरकार द्वारा अन्य सराहनीय प्रयास भी किए गए है | जिनमे भारत सरकार द्वारा 1985 मे महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना तथा 1992 मे राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना प्रमुख रूप से है | भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष भी घोषित किया गया है | इसी के साथ भारत सरकार द्वारा महिलाओं के हित एवं विकास के लिए समय – समय पर विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता रहा है | जिनमे बालिका समृद्धि योजना, किशोरी शक्ति योजना, बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ योजना, इंदिरा महिला यीजना, सरस्वती सांयकाल योजना, स्वंय सिद्धा योजना, महिला समाख्या योजना इत्यादि प्रमुख है |

निष्कर्ष

उपरोक्त नियम एवं कानून के बाद भी महिलाओं की दशा मे कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है | यह कहना पूर्णतया सत्य नहीं है | यह कहना भारतीय संविधान मे प्रदान किए गए महिलाओं के अधिकारों का अपमान होगा | यदि एचएम राजनीति की बात करें तो इन्हीं अधिकारों की वजह से आधुनिक भारत मे महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, आदि के पद पर सुशोभित रही है | यदि हम कलाँ एवं मनोरन्जन के क्षेत्र की बात करें तो उस क्षेत्र मे भी महिलाओं का स्थान अग्रणी रहा है | जैसे एम॰ एस॰ सूब्बूलक्ष्मी, गंगुबाई हंगल, लता मंगेशकर, और आशा भोंसलें जैसी गायिकाओं तथा मीना कुमारी, नर्गिस व एश्वर्या राय जैसी अभिनेत्रियों को भारत मे काफी सम्मान दिया जाता है | अंजलि एला मेनन प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक है | खेल के क्षेत्र मे भी महिलाओं ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हांसिल की है | जिनमे पी॰ टी॰ उषा, जे॰ जे॰ शोभा (एथलेटिक्स), कुंजरानी देवी (भरोतोलन) साइना नेहवाल (बैडमिंट्न), सानिया मिर्जा (टेनिस) व गीता फोगाट आदि प्रमुख है | साहित्य के क्षेत्र मे भी महिलाओं की भूमिका को नकारा नही जा सकता | सरोजनी नायडू, कमला नेहरू, सुरैया, शोभा डे, अरुंधिति राय, अनीता देसाई, आदि कुछ प्रमुख नाम है | वाणिज्य मे लगभग आधे से अधिक बेंक व वित्त उधोग की अध्यक्षता महिलाओं के हाथ मे रहि है | जिनमे अरुंधिति भट्टाचार्य, (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) चंदा कोचर (आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ बैंक) रेणू सूद कर्नाड (एच॰डी॰एफ॰सी॰) चित्रा रामा कृष्ण (नेशनल स्टाक एक्सचेंज) शिखा शर्मा (एक्सिस बैंक) विजय लक्ष्मी अय्यर(बैंक ऑफ इण्डिया) उषा सांगवान भारत की सबसे बड़ी बीमा कम्पनी एल॰ आई॰ सी॰ की प्रबन्ध निदेशक रही है | लेकिन यह सिक्के का केवल एक ही पहलू है | स्वतन्त्रता के पश्चात से वर्तमान तक विभिन्न अधिनियम जैसे – हिन्दु विवाह आधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, विवाह-विच्छेद व तलाक अधिनियम, वैश्यावृत्ती उन्मूलन अधिनियम, गर्भपात की चिकित्सा द्वारा मान्यता आदि कानून होने के पश्चात भी महिलाओं को इन का लाभ नहीं मिलता | यदि हम पूरे देश मे महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों का विश्लेषण करें तो स्पष्ट है कि अधिकांश मे रिपोर्ट ही दर्ज नही हो पाती | महिलाओं के उत्थान एवं संरक्षण के लिए पर्याप्त अधिनियम है परन्तु महिलाओं को सामानत्या कानूनों व अधिकारों का पर्याप्त ज्ञान ही नहि होता |घरेलू हिंसा से संबन्धित मामलों मे महिलाए आगे नहीं आतीं | देश मे कुल मतदाताओं मे आधी संख्या महिलाओं की है,मगर इसके बाबजूद भी लोक सभा तथा राज्य विधान मण्डलों मे उनकी उपस्थिति लगभग नगण्य है | महिलाओं मे साक्षारता की दर भी काफी कम है | आंकड़ों से स्पष्ट है कि 66 पुरुषों कि तुलना मे सिर्फ 39 महिलाएं ही शिक्षित है | संविधान मे इतने नियम व कानून होने के पश्चात महिलाओं की सामाजिक स्थिति मे सुधार तो हुआ है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं | जिसके पीछे मुख्य कारण है अधिकतर महिलाओं को कानूनों एवं अधिकारों के बारे मे पर्याप्त ज्ञान का न होना |अत: महिलाओं के प्रति अत्याचारों को रोकने के लिए कानून व सरकार के साथ समाज को भी भागीरथी प्रयास करने होंगे तथा अपनी उचित भूमिका का निर्वहन करना होगा | इन सामुहिक प्रयासो से ही महिलाओं को सम्मानीय दर्जा व उनके अधिकारों की प्राप्ति हो सकेगी |

संदर्भ

1. भारत का संविधान – एक परिचय, डी॰ डी॰ बसु, प्रेंटिस हाल आफ इंडिया, नई दिल्ली, आंठवा संस्करण, 2002
2. भारत का संविधान – एक परिचय, बृज किशोर शर्मा, प्रेंटिस हाल ऑफ इंडिया नई दिल्ली, पाँचवाँ संस्करण, 2008
3. भारतीय संविधान, डॉ॰ एम॰ वी॰ पायली, यूनाइटिड बूक हाऊस दिल्ली, 1977
4. भारतीय संविधान, एम॰ पी॰ राय, कालेज बूक डिपो जयपुर, 1984
5. भारत का संविधान, जयनारायण पाण्डेय, सेंटर लॉ एजेंसी इलाहबाद, 1985
6. दि राइज़ एंड फाल दी हिन्दु वोमैन, डॉ॰ अंबेडकर पब्लिकेशन सोसाइटी हैदराबाद, 1965
7. Banerjee AC. Indian constitution and documents. AC Mukherjee Son's Calcuta, 1948.
8. Keith AB, Constitutional History of India, Centerl Book Depot, Allahbad, 1961.
9. Banerjee AC. Constitutional History of India. 1858-1919, Maccillan, 1978.
10. भारतीय संविधान, प्रो॰ टी॰ के॰ टोपे, पापुलर प्रकाशन बॉम्बे, 1965.